[Shri A. P. Jain]

to supplies, but the prices should also show a downward trend.

16 hrs.

Shrimati Renu Chakravartty: May I have the right of reply?

Mr. Deputy-Speaker: No. In discussion like this, there is no right of reply. Unless it is a motion, there is no right of reply.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SEVENTH REPORT

Shri Supakar (Sambalpur): I beg to move:

> "That this House agrees with the Seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th September 1957".

Mr. Deputy-Speaker: I shall now put the motion to the vote of the House. The question is:

> "That this House agrees with the Seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th September 1957".

The motion was adopted.

REOSLUTION *RE*: NATIONALISATION OF SUGAR INDUSTRY

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion of the Resolution moved by Shri Khushwaqt Rai on the 30th August 1957 regarding nationalisation of the sugar industry.

Out of 2 hours allotted for the discussion of the Resolution, 25 minutes have already been taken up and 1 hour and 35 minutes are still left for its further discussion today.

Shri Khushwaqt Rai may continue his speech. If he wants that others should support him, he should conclude soon. 30 minutes is the maximum that the hon. Member can have for his speech on the Resolution. He has already taken 25 minutes and 5 minutes are left.

श्री खुशवक्त राय (खेरी) :

I will finish in 5 minutes.

उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन जब मैं बोल रहा था, तो मैं गन्ने की कीमतों की बात कह रहा था । हमारी सरकार ६.५ रिकवरी को बेसिस पर गन्ने की कीमतें मुकर्रर करती है । मगर काश्तकार की दिक्कत यह है कि जब रिकवरी अधिक होती है तो उसको दाम ज्यादा नहीं मिलते है और अगर रिकवरी जरा सी कम होती है, तो दाम घट जाते है । अंग्रेजी की एक मसल है कि हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज । वही बात होती है, यानी काश्तकार का भला किसी तरह से नही होता है ।

दूसरी बात यह है कि इन मिलों में कुप्रबन्ध इतना ज्यादा है कि बहुत सी मिले गन्ने के दाम भी नही दे पाती है । यू० पी० में बहुत सी मिलें ऐसी हैं. जो सैस नही दे पाती हे । होता क्या है कि सारा रुपया मिल-मालिक के निजी खर्च में चला जाता है या कांग्रेस के इलैक्शन फंड में आता है । उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार चुनाव हुए थे, तो काफी बड़ी रकम शक्कर के कारखानों के मालिकों ने कांग्रेस को दी थी । यही वजह है कि आज शक्कर के कारखाने कायम हैं, वर्ना मैं कह सकता हूं कि जिस भावना से, जिस कारण से लाइफ इन्शोरेंस बिजिनैस--जीवन बीमा कारोबार का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया, वही कारण आज उपस्थित है कि जिन के आधार पर शक्कर के कारखानों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को इस सदन के सामने उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

> "This House recommends to the Government that the sugar industry be nationalised."

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): I beg to move:

That for the original Resolution, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that a Committee be appointed to examine the existing working of sugar industry with a view to suggesting whether it is necessary and desirable to nationalise this industry in the national interest".

Shri Jadhav (Malegaon): I beg to move:

(i) That in the Resolution,— after "sugar industry" insert "excepting the industry run by co-operative sector".

(ii) That at the end of the Resolution, the following be added namely:—

"and for that purpose a Committee of 50 members comprising of both the Houses of Parliament be constituted in order to suggest measures for the speedy implementation of the nationalisation within a year".

Shri D. R. Chavan (Karad): I beg to move:

That in the Resolution, for the word "nationalised", the following be substituted, namely:—

"organised on the co-operative basis".

Mr. Deputy-Speaker: Now these amendments are before the House. How long will the hon. Minister take?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): About half an hour.

Mr. Deputy-Speaker: That means only one hour is left for hon. Members to speak. I think ten minutes will be enough for each Member.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): How long is the House going to sit?

Mr. Deputy-Speaker: Unless the Mover of the next Resolution agrees to start and then be content with continuing in the next session, we have to sit till 6-30.

Shri Satya Narayan Sinha: After 5-30 p.m., it will be very difficult to have quorum.

Mr. Deputy-Speaker: If there is no quorum, we adjourn.

Shri Satya Narayan Sinha: Members of both Houses have been invited to some function.

Shri S. L. Saksena (Maharajganj): I am very grateful to Shri Khushwaqt Rai for bringing forward this Resolution. This industry is an industry which affects the largest number of people in the country. This year about 18 million tons of sugar have been produced. This means that sugar mills in India have crushed about 118 million tons of sugarcane, because roughly 10 maunds of sugarcane make one maund of sugar. On the average, about 150 to 200 maunds of sugarcane are supplied by one grower family. So roughly about 30 million cane grower families are cultivating sugarcane for supply to the factories. Taking 5 members to a family, about 15 crores of people in India depend upon the functioning of these factories. This is only about cane growers. Then there are workers. About 2 lakh workers are employed in these factories. Their families also will make about a million people.

This is the employment potential of the industry. It affects almost one in every three Persons in the country How is the industry functioning? How are the profits shared? This is a matter of which my hon. friend, the Minister, is fully aware. The hon. Minister will take time in trying to explain how the profits are distributed. He has tried to distribute some portion of profit by the system of bonus to cane growers. But actually this scheme has not worked. In my State at least, nobody has got any bonus during the last several years. In fact, all the profits go to the millowners, and a large part of it to the Government as revenue. The consumers have to pay high price; they can never get the benefit of the profit, whether the sugar is sold cheap or dear.

[Shri S. L. Saksena]

If you want to finance your Plan, if you want to have finances for other works, why allow such huge profits to go to the pockets of the millowners? You can never find out the real cost of production in any factory. They can manipulate it so well that they can always deceive the Government in regard to the cost of production. Even if they deceive by 4 annas, the amount of money they can steal can be calculated. 4 annas difference comes to Rs. 6 per ton. At the rate of 18 million tons, it comes to Rs. 108 million or Rs. 10 8 crores. This much amount they will steal.

So I want to tell the Government that this is an industry which is ripe for nationalisation. Where one sugar factory was established, there are three or four plants now. The Ghughli factory was started in 1919. Now it has about 7 factories. They have all sprung up from the profits made by the factory. They are Ghughli, Rankola Punjabi, Basti, Walterganj, Nawabganj, Kichcha etc.

What I say is that the money invested has been returned many-fold. I do not say that they should be expropriated. They may be given compensation. I say that the cane growers would agree that the Government should take over these factories and they would be ready to be partners with Government in the undertakings In fact, they would be shareholders in the factories if they can be allowed to be so. If this is done and the industry is run by the State, the profits of the industry will be shared by the Government and the people who deserve it and not by a few people whose only interest is to show false returns.

Even the High Courts have been forced to observe in bonus cases that they cannot rely on the balance-sheets and that there should be another method of declaring bonus on the quota basis, how much of sugar has been crushed by the factory and so on. It is clear that the sugar factory owners never show the real profits. If Government are the owners of the factories, the real profits would go to the Government's coffer and would be distributed to the various interests concerned in an equitable manner.

Our industry is not prospering. What was the position in 1939? There were 27 factories in the country in 1937. After protection was granted, the number rose to 137. One hundred were put up in 7 years. Now, after partition also the same number is here. The recovery has been the same; probably, it has gone down.

There is a lot of talk of development; but there is no real development. I have read the Tariff Commission Report. I would have shown that actually it has gone down. Compared with the recovery in 1931, you will find that during the last 15 years, it has gone down instead of increasing. In Coimbatore they have been producing better varieties of cane. But with all that, I wonder why recovery has been going down instead of increasing.

Shri Thirumala Rao (Kakinada): Is the hon. Member referring to U.P. factories?

Shri S. L. Saksena: I am saying about all Indian factories. I am sorry I have not got the Tariff Commission Report here. From the 1950 figures you will see that at least in U.P. and Bihar it has gone down.

Shri Jhunjhunwala (Bhagalpur): Compared to 1934?

Shri S. L. Saksena: Compared to 1931. During 1931 to 1937 it has been higher, but not after these years. What I say is that development instead of increasing has reduced the recovery. There has been an attempt to grow early varieties and later varieties. Previously the crushing period was 6 months but it has now come down to 3 months. This is the sort of development that has taken place.

The mill owner wants bottlenecks to be there, the high prices to be there. His interest is that he should have more and more profit. The cane grower is a poor man; he is poor and he cannot ge the money to grow the

full crop. If anybody else is interested, of course, it is the Government. But the Government is interested in its taxes. So, unless there is a real attempt to run the industry on a nationalised basis, to run it from the point of view of the public, I am sure, neither the industry can prosper in quality nor the public can get cheap sugar. I therefore hope that the hon. Minister will try to nationalise the industry.

It does not require a large amount of money for this purpose. If an attempt is made, a scheme can be worked out in which the cane growers and the labourers even will be prepared to be shareholders and pay the money which the industry invests and they will become co-partners with Government in running the industry for the welfare of the public. That will meet the requirements of the workers, the cane growers and the Government also and benefit the industry as a whole.

श्री श्रीनारायण दास: उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की जो बात कही गई है, जहा तक मेरा ख्याल है, वह उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की नीति के खिलाफ पड़ती है। यह बात सही है कि इस उद्योग में बहुत बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं। ऊख के पैदा करनेवालों की तादाद सब से अधिक है। इस में काम करने वाले मजदूर भी है और तीसरा वर्ग मिल-मालिकों का है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले इस उद्योग के नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं था। तब इस उद्योग में बड़ी धांधली चलती थी और सिर्फ नफे के ख्याल से मिल चलाने वाले लोग गन्ने के उत्पादकों का बड़ा शोषण करते थे। इसी तरह शुरू शुरू में जब कि मजदूरों के हकों की हिफाजत के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मजदूरों के साथ भी बड़ा अन्याय होता था। जब उन के [illegible] की रक्षा के लिए फैक्टरी एक्ट और दूसरे कानून बने, तो उन के साथ कुछ न्याय होने लगा। जहां जहां उद्योग-धंधे हैं, वहां राज्य के स्तर पर ऐसे कानून बने, जिससे उत्पादकों के हकों की भी हिफाजत बहुत हद तक हो गई। मेरा सम्बन्ध उस क्षेत्र से है, जहां पर यह उद्योग कुछ ज्यादा पैमाने पर है। विभिन्न राज्य सरकारों के कानूनों के बावजूद अभी भी उत्पादकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिन का हल नहीं हो पाता है। मालूम नही कि इस उद्योग के बारे में कोई व्यापक जांच अभी तक की गई है या नहीं लेकिन ऐसा देखा गया है कि ऊख के उत्पादकों की वर्तमान अवस्था अच्छी नही है। कई माननीय सदस्यों ने ऊख के दामों के नियंत्रण के लिए बने हुए यंत्र का उल्लेख किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो फारमूला बना हुआ है—या बनने वाला है—वह ऐसा नही है, जिससे कि ऊख के उपजाने वालों को सन्तोष हो। यह बात स्पष्ट है कि जब चीनी का दाम बढ़ता है, तब उस के अनुपात से ऊख का दाम नही बढ़ता है और जब चीनी का दाम बढ़ता है, तो उस के खाने वलों की आवाज आ जाती है कि चीनी का दाम ज्यादा है। इस सदन में जब जब यह सवाल उठाया जाता है कि ऊख का दाम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चीनी का दाम बढ़ा है, तो दोनों तरफ से उस का विरोध होता है।

एक माननीय सदस्य: सिर्फ एक तरफ से।

श्री श्रीनारायण दास: चीनी के खाने वालों की तरफ से भी विरोध होता है और यहां पर कई माननीय सदस्य उन के हक की हिफाजत के लिए कहते हैं कि ऊख का दाम ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और जो चीनी उद्योग को चलाने वाले हैं वे तो इसका विरोध करते ही हैं। मगर शायद एक कमेटी बैठी हुई है जो इस बात की जांच पड़ताल कर रही है कि ऊख की उपज में फी एकड़ क्या खर्च पड़ता है। मगर पता नहीं कि वह कमेटी कितने दिनों के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। मेरा कहना यह है कि इस उद्योग में जो स्वार्थ निहित हैं, जो उपजाने वाले हैं,

[श्री श्रीनारायण दास]

जो मजदूर हैं और जो पूंजीपति हैं, उन सब के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए । जैसा कि सब को मालूम है कि हम चाहते हैं कि हम भारतवर्ष में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करें और हम करेंगे भी । उस में यह बात निहित है, यह बात छिपी हुई है कि धीरे धीरे ही सही मगर क्रमिक रूप से जो ऐसे उद्योग हैं, देश के ये जो उत्पादन के साधन हैं, उनका हमको राष्ट्रीयकरण करना है. . . .

श्री भदौरिया (इटावा) : यह सैल्फ-कंट्रेडिक्ट्री बात आप कह रहे हैं ।

श्री श्रीनारायण दास: यदि आप इस पर जरा सोचेंगे तो आप पायेंगे कि यह सैल्फ-कंट्रेडिक्टरी बात नहीं है । मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण न किया जाए । । मैं तो यह चाहता हूं कि इसका राष्ट्रीयकरण हो और एक समय आयगा जब चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण होगा । लेकिन सिद्धान्त के तौर पर अगर हम किसी बात को कर दें और उसके जो नतीजे निकलने वाले हैं, उन पर विचार न करें, तो यह उचित नहीं होगा । किसी विषय पर पूर्ण रूप से सोच कर फिर हम कोई कदम उठाते हैं । हमें देखना चाहिए कि आया जो स्थिति आज है वह संतोषजनक है या नहीं है । मेरा जो निजी ख्याल है वह यह है कि मैं इससे संतोष नहीं मानता हूं लेकिन इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण से क्या सोलह आने राष्ट्र का हित होगा, क्या उत्पादन बढ़ेगा, क्या ये जो काश्त-कार हैं, इनके हितों की पूरी तरह से रक्षा हो जाएगी, क्या ये जो मजदूर हैं इनके हितो की पूरी तरह से रक्षा होगी, इन सब बातो का मुझे विश्वास नहीं होता है । इस वास्ते मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमे मैं ने कहा है कि वर्तमान स्थिति में क्या यह वाछनीय है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह राष्ट्र के हित में है तथा क्या यह व्यावहारिक है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए अथा इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी की स्थापना की जाए । इस बात की जांच करना आवश्यक है कि हमारे पास कितने साधन हैं तथा हमारी जो नीति है, उसके अन्दर रहते हुए इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण से लाभ होगा या नुक्सान होगा । इन बातो का फैसला इस ढाई घन्टे की बहस में कर सकना सम्भव नहीं है । यदि इस बहस में इसका फैसला हो सकता तो मैं इसका अवश्य समर्थन करता । मगर मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है और करीब करीब सारे भारतवर्ष में यह फैला हुआ है तथा फैलने वाला है—अभी तक तो यह ज्यादा तर उत्तर भारत में ही है—उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है—लेकिन दक्षिण में भी इसके फैलने की बहुत ज्यादा सम्भावना है—इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए तथा किसी क्षेत्र में चलने वाले इस उद्योग का काम कैसा रहा है, इस बात की सभी पहलुओ से जांच हो और जाच के बाद ही इस उद्योग का राष्ट्रीय-करण हो या न हो, इसका फैसला किया जाए । इस जांच पड़ताल से अगर यह पता चले कि इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण से फायदा होने वाला है, तो मैं इसका समर्थन करूंगा ।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक सशोधन प्रस्तुत किया है, जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हू । यह इस तरह से है —

"मूल प्रस्ताव की जगह निम्नलिखित को रखा जाय —

"इस सदन की राय है कि चीनी उद्योग की वर्तमान अवस्था की जांच के लिये एक समिति का सगठन हो जो यह बतावे कि क्या चीनी उद्योग का राष्ट्रीय-करण राष्ट्र के हित मे आवश्यक और वाछनीय है ।"

मै समझता हू कि समय आ गया है जब इस उद्योग के सभी पहलुओं की जांच

की जाए और यदि उस जांच के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हो कि इस उद्योग को निजी क्षेत्र में रखने से राष्ट्र का नुकसान होता है तथा जो विभिन्न इंटिरेस्टस जो इसमें निहित हैं उनका अहित हो रहा है, उनकी ठीक प्रकार से रक्षा नहीं हो रही है, उत्पादकों तथा मजदूरों का तथा समाज का फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे संशोधन को मंजूर कर लें। इसके बाद भी अगर सरकार द्वारा यह प्रस्ताव मंजूर हो जाए, तो गनीमत की बात होगी। मैं समझता हूं कि यदि कमेटी की नियुक्ति की गई तो इसके अवश्य ही अच्छे परिणाम निकलेंगे।

श्री बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय इस समय इस सदन के विचाराधीन है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी अभी एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा है कि जो आज देश की हालत है उसमें तो इस उद्योग की जांच पड़ताल की जानी चाहिए और उस जांच पड़ताल के बाद अगर हम इस नतीजे पर पहुंचें कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, नहीं तो नहीं। मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले मैं विवेकानन्द जी की एक किताब पढ़ रहा था जिसमें हिन्दुस्तान का एक शब्द चित्र खींचा गया था। उसमें लिखा हुआ था कि हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कि एक तरफ तो आलीशान महल हैं और दूसरी तरफ उसके बिल्कुल नजदीक ही चन्द्रावली में एक झोंपड़ी है। महल में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको तो जिन्दगी की सभी सहूलियतें उपलब्ध है, मुयस्सर हैं तथा अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं परन्तु जो झोंपड़ी में रहने वाला किसान है या गरीब आदमी है उसकी जिन्दगी की जो रोजमर्रा की आवश्यकतायें हैं वे भी उपलब्ध नहीं हैं। वह तड़प तड़प कर अपनी जिन्दगी के दिन पूरे करता है। इस चीज को हमें दुरुस्त करना है। इसको दुरुस्त करने के लिए जो चीज हमने अपने सामने रखी है और जो कांग्रेस को मजबूरन अपने सामने रखनी पड़ी है और उसको कबूल करना पड़ा है और जिसको महात्मा गांधी ने शुरू से ही अपने सामने रखा है और कांग्रेस को उस पर चलने के लिए कहा है, वह यह है कि अगर हमें हिन्दुस्तान के नक्शे को बदलना है, तो हमको ऐसे कदम उठाने होंगे जिनको उठाने से कि हिन्दुस्तान के जो अव्वाम हैं, उनका मुस्तकबिल सुधरे, उनका मुस्तकबिल बने तथा उनकी जो इस वक्त खराब हालत है, वह इम्प्रूव हो। पहले पहल तो कांग्रेस ने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी वाली बात को नहीं माना था लेकिन बाद में आकर मजबूरन उसे इस चीज को मानना पड़ा लेकिन इतने होने के बाद भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार की सोसाइटी की स्थापना का जो रास्ता है उस पर वह आज भी चलने के लिए तैयार नहीं है। अभी मेरे एक कांग्रेसी दोस्त ने कहा है कि हम जानते हैं कि उस रास्ते पर कब जाना है तथा उस रास्ते पर चलने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया गोल है और वह यह कहना भूल गये है कि आहिस्ता आहिस्ता कभी न कभी हम इस मंजिल से उस मंजिल तक जा पहुंचेंगे।

यह जो सनत है, इस सनत की तरफ अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि सन् १६३२ से लेकर, जब से गवर्नमेंट ने इसको संरक्षण प्रदान किया है, इसकी तस्वीर बदलती जा रही है। सन् १६३२ में ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तान में ३५ मिलें थीं, लेकिन आज करीब करीब १५७ मिलें खुल चुकी हैं। इस इंडस्ट्रीज को जो फायदा हुआ है, उसके जो इंडेक्स फिगर्स हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दूसरी तजारतों के मुकाबिले में इस तजारत में जो लोग हैं, उन्होंने काफी ज्यादा फायदा उठाया है। मैं बेस फिर १६३६ को लेता हूं।

१६४१ में १३७.८
१६४२ में १२६.७

[श्री यादव]

१९४३ में १५७.८

१९४४ में १३३.५

लेकिन १९५३ में ४१९.२

दूसरी जो सनतें हैं उनके बारे में अब मैं आपको फिगर्स देना चाहता हूं । १९४१ में दूसरी इंडस्ट्रीस का जो इंडेक्स नम्बर था वह १८७ था जबकि १९५३ में २५६.९ ही हुआ । इसका मतलब यह हुआ कि इस सनत में लगे हुए लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और किस तरह से इतना ज्यादा पैसा कमाया है, इसकी तरफ भी हमको देखना होगा । यह सब इस वजह से हुआ कि टैरिफ बोर्ड ने इस इंडस्ट्री को संरक्षण दिए जाने के लिए कहा था । १९३७ में जब शुगर सिंडिकेट बना और इस सिंडिकेट में जो मिल मालिक थे, उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हुआ जब इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान गया तो जो संरक्षण उसने शुगर सिंडिकेट को दे रखा था, वह उसे वापिस लेना पड़ा । यह जो मुनाफा इन कारखानों के मालिकों ने उठाया वह मजदूरों को कष्ट में डालकर उठाया या कंज्यूमर्स को तकलीफ में डाल कर उठाया । इन लोगों ने कोई भी बात ऐसी नहीं की जिससे कि कंज्यूमर्स को फायदा हो सकता हो । आज की फिगर्स तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन १९५० की दुनिया की मार्केट की जो फिगर्स हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । इन फिगर्स से पता चलता है कि इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को तथा मजदूरों को लूटने की कोशिश की है ।

इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने दूसरे देशों में सन् १९५० के मार्च महीने में जो शुगर की रिटेल प्राइस पर पौंड थी, वह रखना चाहता हूं :

क्यूबा	४.२३
हैनीय	४.९७
अर्जेनटाइना	२.५१
ब्राजिल	४.५९
पेरू	१.७७
इजिप्ट	२.४५
इंडिया	६.५

आज जो बाजार में चीनी की कीमत है वह इस कदर बढ़ी हुई है कि एवरेज आदमी को चीनी खरीदने की ताकत नहीं है और वह चीनी न खरीद कर गुड़ खरीदता है । इस चीनी के व्यवसाय में लगे व्यापारियों और पूंजीपतियों ने भारी मुनाफे कमाये हैं और पूंजीपतियों ने इतना अधिक मुनाफा कमाया है कि करीब ३० करोड़ रुपया जो उन्होंने इनवेस्ट किया था, वह वसूल कर लिया है, करीब ४० करोड़ वर्किंग कैपिटल जो उनका लगा वह सब पैसा वसूल कर चुके हैं । अगर हम देश की इक्तसादी हालत को सुधारना चाहते हैं तो यकीनन गवर्नमेंट ने सन् १९४८ और सन् १९५१ में इस इंडस्ट्री के बारे में जो पालिसी बनाई है उसमें उसे परिवर्तन करना होगा, खाली हाउस में आकर ढाई घंटे की बहस कर लेने से आर्थिक अवस्था सुधरने वाली नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो हालत को सुधार सकती है और प्रेसीडेंट आर्डिनेंस भी निकाल सकते हैं । आज जो आर्थिक विषमता पाई जाती है, और एक तरफ महल हैं और दूसरी तरफ झोंपड़ी है, तो इस बड़े अन्तर को गवर्नमेंट को कम करना है और उसके लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए ।

चीनी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करते समय हमें उस खतरे के प्रति सावधान रहना पड़ेगा जो कि स्टेट ओंड कारपोरेशंस में ब्युरोक्रेसी देखने को मिलती है और इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कहीं दूसरी स्टेट ओंड कंसर्नस की तरह इसमें भी ब्युरोक्रेसी पैदा न हो और उसके लिए हमें कंज्यूमर्स और वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा पावर्स देनी पड़ेंगी ।

प्राइवेट इंसेंटिव की जो बात आती है तो मुझे उसके बारे में यह कहना है कि पूंजीपति वर्ग, जो कि इस देश के नागरिक हैं, अगर वे

देश का हित और भला करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और अगर वे अपनी व्यवसायिक बुद्धि और पैसा कमाने की ताकत का इस्तेमाल देश की आम जनता के हित के लिए करना चाहते हैं तो उनके काम करने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आयेगी।

यह कुछ बातें मैं ने आपके सामने रक्खी हैं। मैं ने इस सम्बन्ध में दो संशोधन भी रक्खे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे मित्र उन अमेंडमेंट्स को कबूल करेंगे। अपने पहले संशोधन में तो मैं ने यह मांग की है कि कोआपरेटिव सैक्टर को इसके बाहर रक्खा जाय और उसको बढ़ावा देना चाहिए और दूसरी इंडस्ट्रीज स्टेट्स कारपोरेशन की तरह से इसको कोआपरेटिव्स को ट्रीट करना चाहिए। अपने दूसरे संशोधन में मैं ने यह कहा है कि इस सनअत के बारे में विस्तार से तहकीकात करने के लिए दोनों हाउसेज के ५० मेम्बर्स की एक कमेटी बना दी जाय जो कि एक साल के अन्दर अन्दर चीनी का राष्ट्रीयकरण किस तरह तेजी से अमल में लाया जा सकता है इस बारे में अपने सुझाव और सिफारिशें दे। यह दो संशोधन मैं ने पेश किये हैं और मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय मेरे इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चीनी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम सबको इस पर बड़े ठंडे दिल से विचार करना है। हमें कोई कदम उठाने से पहले इस पर पूरी तरह गम्भीरता से सोचना होगा कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना उत्तम चीज होगी या जो व्यवसाय जारी है वह चलने देते रहना ठीक रहेगा या उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है।

मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी की मिलें हैं उनकी आधी मिलें हमारे गोरखपुर और देवरिया जिलों में होंगी। वहां पर शायद ही कोई रेलवे स्टेशन ऐसा होगा जहां पर एक चीनी की मिल न हो, कहीं कहीं पर तो दो दो मिलें हैं और करीब २७ मिलें हैं। उन चीनी कारखानों के मिल मालिकों ने इस व्यवसाय से इतना अधिक लाभ उठाया है जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं करते होंगे।

इस व्यवसाय के तीन अंग हैं, मजदूर, मिलमालिक और केनग्रोअर्स (काश्तकार)। मिलमालिक केवल अपना रुपया और बुद्धि लगाता है, केनग्रोअर गन्ना पैदा करता है और मजदूर श्रम करके चीनी पैदा करता है। अब जहां तक चीनी कारखाने में लगे मजदूरों का सम्बन्ध है, उनको कभी कभी लेबर लीडर्स के शोरगुल करने से बोनस मिल जाता है लेकिन गन्ना पैदा करने वाला बिल्कुल घाटे में रहता है और गवर्नमेंट ने आज तक इस पर विचार नहीं किया है कि जो इतनी मेहनत करके गन्ना पैदा करता है उसको गन्ने की जो कीमत मिलती है आया वह उचित होती है या कि नहीं। गवर्नमेंट ने आज तक इस विषय में कोई आंकड़े नहीं प्रस्तुत किये कि गन्ना पैदा करने वालों को गन्ने की कितनी कीमत मिलनी चाहिए जिससे उनको उनके श्रम का उचित मुआवजा मिल सके। गवर्नमेंट के पास खुद अपने फार्म्स हैं जहां पर वह गन्ना पैदा करती है और वह इसका अन्दाजा लगा सकती है कि गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने की कितनी कीमत मिलनी चाहिए जिससे कि उसको उसकी मेहनत का पूरा रिटर्न मिल जाय और उचित मुनाफा मिल जाय। आज जो केनग्रोअर्स को गन्ने की उचित कीमत नहीं मिल रही है उसका एक कारण यह भी है कि उनकी कोई एक ऐसी सामूहिक संस्था नहीं है जो गवर्नमेंट पर इसके लिए दबाव और असर डाल सके कि इतनी कीमत हम लोगों को मिलनी चाहिए।

मुझे याद है कि सन् १९३७ में जब पहले पहले कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे प्रान्त में बनी थी तो डा० काटजू साहब के सभापतित्व में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में मुझे भी

[श्री सिंहासन सिंह]

रहने का सौभाग्य मिला था । वहां पर एक श्रीवास्तवा या कोई अन्य फार्मूला जिसके कि आधार पर गन्ने की कीमत मुकर्रर होती थी । मिल प्रतिनिधियों का सुझाव था कि वही फारमूला रखा जाय—किन्तु डाक्टर काटजू साहब ने कहा था कि वैसा नहीं हो सकता—उन्होंने कहा था कि उसमें इसका हिसाब लगाना होगा कि ईख पैदा करने में कितना खर्चा होता है और मेहनत लगती है और उसको ध्यान में रखते हुए गन्ने की कीमत मुकर्रर की जाय लेकिन वह फार्मूला कुछ चला नहीं ।

अब जहां तक सरकार द्वारा इस चीनी व्यवसाय को अपने हाथ में लेने की बात है तो इस सम्बन्ध में हमारा अनुभव बड़ा कटु रहा है । तीन, चार चीजों का हमने राष्ट्रीयकरण किया और सब में घाटा ही घाटा हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : रेलवे में नफा हुआ ।

श्री सिंहासन सिंह : ठीक है वहां पर नफा हुआ लेकिन जितना नफा वहां पर होना चाहिए था वह नहीं हुआ । रेलवे की कैटरिंग में हमें कई लाख रुपये का घाटा हुआ है ।

एक माननीय सदस्य · रोडवेज में नफा हुआ है ।

श्री सिंहासन सिंह . ठीक है कहीं पर हमें नफा भी हुआ है । लेकिन आमतौर पर देखा जाय तो हम पायेंगे कि सरकारी प्रबन्ध में मे घाटा ही रहा है । अशोक होटल को ही ले लीजिये जिसको कि सरकारी प्रबन्ध में चलाया गया और हमने देखा कि वहां पर भारी घाटा रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज आप अशोक होटल आ रहे हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : जी हां । इसी तरह हम देखते हैं कि ऐयर करपोरेशन में राष्ट्रीयकरण के होने से कई करोड़ का घाटा हुआ है । मैं राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को तो स्वीकार करता हूं और यह भी मानता हूं कि राष्ट्रीयकरण होना उचित है लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय भाव का उदय नहीं हुआ है और इसीलिए बजाय लाभ पहुंचाने के हम देखते है कि घाटा हो जाता है । इसलिए मैं चाहता हू कि इस सम्बन्ध में श्री श्रीनारायण दास के संशोधन को सरकार को मान लेना चाहिए और एक कमेटी बना कर उसके सुपुर्द यह सारा चीनी व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का मामला सौंप देना चाहिए जो इस विषय में पूरी जांच पड़ताल करे और उसके हर एक पहलू का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें सरकार को दे । इस सम्बन्ध में जल्दबाजी करना और प्रस्ताव पास कर देने से काम बनने वाला नहीं है ।

हम देखते हैं कि हालांकि शुगरकेन कंट्रोल ऐक्ट बना हुआ है लेकिन आज भी काश्तकारों को कोई सुविधा नहीं है ।

इस के अन्दर यह कंट्रैक्ट होगा कि इतना केन हम सप्लाई करेंगे इतने दिनों में । अप्रैल का महीना हुआ और मिल मालिकों को यह सुविधा मिलती रही कि २ आ० या जितना भी परसेन्टेज हो वह रिकवरी पर काट सकता है । अभी हमारे शिब्बन लाल जी कह रहे थे कि १९३७ के मुकाबले अब रिकवरी कम हो गई है । उस रिकवरी को पूरा करने के लिए कुछ करना होगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलने के कारण और काश्तकार अपनी मेहनत से ज्यादा से ज्यादा खेती करता हैं । ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हुए भी मिल में जा कर केन की सैकरोस कम हो जाती है । मिल वाले कम से कम यही कहते हैं कि वह कम हो जाती हैं । उस की क्वालिटी बढ़ानी होगी इस के लिए केन डेवेलपमेंट सोसायटी बनी फिर भी घट रही है । इस के लिए प्रयत्न करने के नाम पर भी काफी खर्च किया जा रहा है, लेकिन मिल की तरफ से इस का फायदा उठाने के बाद भी उस मुनाफे में से काश्तकारों को बोनस नहीं मिलता । एक दफा यह तय भी

हुआ था कि मुनाफे में से काश्तकारों को बोनस मिलेगा । लेकिन वह आज तक नहीं मिला ।

श्री अ० प्र० जैन : जी नहीं, मिला है ।

श्री सिंहासन सिंह : मिला है तो बड़ी मेहरबानी आप की, लेकिन मैं भी एक छोटा मोटा काश्तकार हूं, मुझे तो नहीं मिला । हो सकता है औरों को मिला हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर लोगों को क्या मिला, अगर आप को नहीं मिला ?

श्री सिंहासन सिंह : मुझे पता नहीं, औरों को मिला होगा ।

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वॅ० कृष्णप्पा) : इकट्ठा मिलेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : भगवान से आशा लगाए रहूंगा, मिल जाए तो मिल जाए ।

बहरहाल ऐसी परिस्थिति में है काश्तकार लोग । सन् १९३७ में बड़ी लड़ाई के बाद यू०पी० सरकार ने एक कानून बनाया है कि जो भी अपनी ईख ले कर जाए मिल में, उस को रुपया तुरन्त मिल जाए । लेकिन किसी को रुपया नहीं मिलता है । काश्तकारों का करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है मिलमालिकों के पास । यू० पी० गवर्नमेंट ने यह भी कानून बनाया है कि अगर गन्ने की कीमत पन्द्रह दिन तक न दी जाए तो मिलमालिक ७ १।२ परसेंट सूद दे, लेकिन साथ ही यह भी लिख दिया कि अगर केन कमिश्नर चाहे तो उसे माफ कर दे । मैं तो कहूंगा कि सन् १९५३ में कानून बनने के बाद आप पता लगा लें, किसी को भी कुल सूद में से कितना मिला और कितना माफ हो गया । अगर वह सारा माफ हो गया तो यह कानून बेकार हो गया । चूंकि केन कमिश्नरों को यह पावर दे दी गई है, इस लिए हमेशा जो बात काश्तकारों के हित में होनी चाहिए, वह उन के विपरीत होती है ।

आखिर कोई बात तो काश्तकारों के हित में हो जो कि अपनी मेहनत से गन्ना पैदा करता है । जाड़ा बरसात में जो मिल वालों को केन देता है, जब वह बोझ लाद कर मिल आता है तो कोई उस की बात पूछने वाला नहीं होता है । न उस के ठहरने के लिए कोई जगह होती है न बैठने की । गवर्नमेंट ने मजबूर किया मिलमालिकों को कि वे अपने अपने यहां शेड बनवाएं बैलों के खड़े होने के लिए लेकिन किसी भी मिल मालिक वाले ने दस बैलों से ज्यादा के खड़े होने के लिए शेड नहीं बनवाया । गाड़ियां हजारों आती हैं, लेकिन शायद दस बैलों के पानी पीने के लिए भी जगह नहीं है । थोड़े से ही नाद होते हैं जिन से उन का काम नहीं चलता है। हां हमारे यहां गोरखपुर में दो मिलें है जिन्होंने कुछ अच्छा प्रबन्ध कर रक्खा है । मै ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा कि वह उन का अनुकरण क्यों नहीं करते । वही एक मिल है जहां सब गन्ना छः बजे सुबह से छः बजे शाम तक तौल करके ले लिया जाता है । रात में वहां कोई गाड़ी नहीं रहती, लेकिन और मिल वाले उस की ओर ध्यान नहीं देते । जब लोगों की तरफ से मजबूर किया गया तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि कही भी लोगो को १२ घटे से ज्यादा खड़ा नही होना चाहिए, लेकिन आज भी दो दो दिनों तक गाड़ियां खड़ी रहती हे, कोई भी उन की बात पूछने वाला नहीं है ।

इसी तरह से तौल का सवाल है । जो भी गाड़ियां आती हें उन के केन को दस या बारह घंटे मे तौल लिए जाने की सुविधा होनी चाहिए और यह तौल दिन दिन में ही होनी चाहिए, क्योंकि रात को तौल में इतनी कटौती होती है कि काश्तकार समझ नहीं सकता कि कैसे उतनी कटौती हो जाती है । मै ने एक मिल का उदाहरण दिया था । डनलप गाड़ी आप जानते हैं, क्या उस पर कोई दस मन गन्ना भेजेगा? उस पर कम से कम ५० मन गन्ना आता है । उस डनलप गाड़ी का गन्ना दस मन बैठा ।

कुछ माननीय सदस्य : डनलप गाड़ी क्या होती है ।

श्री सिंहासन सिंह : रबर टायर वाली गाड़ी होती है । इसलिए मैं कहता हूं कि रात की तौल गवर्नमेंट बन्द कर दे । मिल वाले कहते है कि गन्ना इकट्ठा कर लेने के लिये गाड़ियां बनाना हमारे बस की बात नहीं है । वह केवल बेगा सदरलैंड कम्पनी ही बना सकती है । वह अंग्रेज कम्पनी थी । मैं पूछता हूं कि हमारी हिन्दुस्तानी कम्पनियां उसे क्यों नहीं बना सकती हैं ताकि काश्तकारों की गाड़ियां दिन मे ही तोल ली जाएं और काश्तकारों को लाभ हो । लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नतीजा यह है कि काश्तकार मर रहा है और मिल वाले फायदा उठा रहे हैं । हमारे इंस्पेक्टर जाते है मिलवालो के यहा दावते खाते हैं और आ कर रिपोर्ट कर देते है कि एव्री थिंग इज ओ के । तो पहले जो रूल था ७ १।२ परसैन्ट का वह भी नही मिल रहा है, पहले यह था कि अगर कोई केन मिल वाला पर्ची देने के बाद २४ घंटे के अन्दर ईख का दाम न दे तो प्रासिक्यूट हो और प्रासिक्यूशन मे ७०० रु० डेली तक फाइन था । लेकिन अगर मैं गलती नहीं करता तो शायद एक मिल वाले का भी प्रासिक्यूशन नही हुआ, करोड़ों रुपया बाकी रहा, मैंने कई दफा कमिश्नर से कहा कि प्रासिक्यूशन क्यों नही करते ? लेकिन उन्होंने कहा किस को करे ? मुकदमेबाजी होती है । मैंने उनको नाम दे दिया, लेकिन फिर भी प्रासिक्यूट नही किया । हमारे गोरखपुर में एक मिल है जिस ने आज तक डिविडेंड डिक्लेअर नही किया । इस पर तवज्जह होनी चाहिए । शेअर होल्डर्स का रुपया लगा हुआ है, लेकिन उनको डिविडेंड नहीं मिला । वह मिल गोरखपुर मे है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए नैशनलाइज किया जाए या न किया जाए ?

श्री सिंहासन सिंह : इस मिल को तो करना ही चाहिए । इस पर गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करे गोरखपुर में, जैसा शिब्बनलाल जी ने भी कहा, कई मिलें हैं जिन्होंने आज तक अपने शेअर होल्डर्स को एक पैसा भी डिविडेंड का नही दिया है, उसका हिसाब तक नहीं हुआ है । इस लिए सरकार से मैं यह कह रहा हूं कि कम से कम वह इस पर तो ध्यान दे कि शेअर होल्डर्स का लाभ हो, लेकिन वह होता नहीं है ।

मै आपका ध्यान खास तौर से इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सरकार ऐसे रूल बनावे जिस में काश्तकारों को भी सुविधा मिले और वह जिन्दा रह सकें। मिल वाले उनको कोई सुविधा नहीं देते हैं, उनके लिए पानी का भी कोई इन्तजाम नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय खत्म हो चुका है, लेकिन जब आप उसकी भी परवाह नही करते तो उन लोगों कि परवाह कैसे होगी ?

श्री सिंहासन सिंह : मैं अपनी बात कह रहा था और चूंकि सदन का ध्यान मेरी तरफ था इस लिए मैं समझ रहा था यह बातें कुछ अपील कर रही हैं । इस लिए अब मैं इतना ही कहूंगा कि जो श्री श्रीनारायण दास का संशोधन है उसको सरकार कबूल कर ले तो वह सब के हित मे होगा ।

Shri D. R. Chavan: Mr Deputy-Speaker, I have moved an amendment to the resolution for the nationalisation of sugar industry in this country. My amendment is to this effect: that, instead of nationalisation, it should be reorganised on a co-operative basis. The experiment on the co-operative basis is being made in the second Five Year Plan and an additional capacity has been sanctioned for establishing the sugar industry. 43 factories have been licensed out of which there would be 22 sugar factories in the co-operative sector. For the sugar industries in India, it is necessary, under the present circumstances, when we are going on with the second Five Year Plan, to reorganise this industry on a co-operative basis, because, the raw materials

that comes for this industry is from the agricultural sector. It is necessary to re-organise our industrial organisations in this country, and for that purpose I propose that there should be two categories of industrial organisations: the first in the co-operative sector and the second in the public sector and that there should be no third sector—called the private sector. My submission is that the first category of industrial organisation should be confined to those industries which get their raw material from agriculture, like sugar industry, textile industry, jute industry and all such types of industries which are mainly dependent for their manufacture on agricultural raw material, should be in the co-operative sector. Secondly, the industries like coal mines, steel and iron, which are dependent for their raw material coming from natural resources should be in the public sector. The private sector should be totally eliminated. That is my submission.

For making out a case for the nationalisation of the sugar industry or reorganising the sugar industry on a co-operative basis, there is sufficient data. If you look at certain figures, you can certainly come to the conclusion that the Indian sugar industrialists have robbed the consumers, the cane-growers and the wage-earners and made tremendous amounts of profits at the cost of the Indian public. For that purpose, I have taken a sample survey of 28 sugar factories during the ten year period between 1937-38 and 1947-48 I have taken 28 factories spread all over the country and I am reading the profits made by these industries during these ten years. In 28 sugar factories selected by me, the total paid-up capital was Rs. 5,93,46,533. The profits made are as follows: 1937-38—Rs. 22,89,318; 1939—Rs. 88,01,738; 1940—Rs. 89,50,245; 1941 Rs. 1,46,33,723; 1942—Rs. 1,44,16,114; 1943—Rs. 3,06,17,872; 1944—Rs. 1,99,03,028; 1945—Rs. 1,96,92,841; 1946—Rs. 1,54,09,166; 1947—Rs. 1,54,34,155; 1948—Rs. 3,02,42,463. The total comes to Rs. 17,09,20,884 on a capital of Rs. 5,93,46,533. This is the amount that has been realised by the sugar industrialists in this country in a period of 10 years commencing from 1937-38 to 1948 by way of profits. I have taken into consideration only 28 factories.

Taking these figures as the basis of my calculation, I came to the conclusion that since 1900—that was the year in which the first sugar factory was established in India in Bihar—up to 1954-55, on a capital investment of Rs. 66 crores, a profit of Rs. 132.7 crores have been made by the Indian industrialists During this period, if we look at the amount paid to the cane-growers and wage earners, we will be shockd to find that these persons not only exploited the cane-growers, wage earners and the consumers in the country, robbed away their money but controlled the U. P. and Bihar Government, in spite of the fact that the Govermnent wanted to control the sugar industrialists. I am referring here to the Indian Sugar Syndicate. If my hon. friend sitting in the opposite bench remembers the year 1949 when there was a sugar crisis, a sugar scandal, in a period of three months, the Indian Sugar Syndicate people, i.e. the Indian sugar industrialists, by creating an artificial scarcity and acute shortage in the country increased the prices. The price which was Rs. 6-6-0 per maund in 1931 shot up gradually and by 1949 the average price per maund varied from Rs 30 to Rs. 60 all over India and Rs. 240 per maund in Bombay and Calcutta. This was the amount that the sugar industrialists made during this period. My calculations are that about 20 crores of rupees were knocked out by the Syndicate in a period of three months.

I would like to refer to what the hon. Prime Minister said in the year 1949 when there was the crisis created by the Indian Sugar industrialists. Even the Prime Minister was very much perturbed at the course of events that had taken place and on the occasion of the U.P. Provincial Congress Committee—let the hon. Minister remember—held in Kanpur in the last week of August, of 1949, he publicly expressed his disgust at the anti-social activities of the Indian

[Shri D. R. Chavan]

Sugar Syndicate, which is nothing but the combination of the Indian sugar industrialists.

In his opening address in the Parliament on the 28th of November, 1949, he said:

> "What is very disturbing is not the fact that some of us have not been able to get sugar, but the fact that the sugar position should deteriorate so rapidly and the deterioration could not be checked quickly. That is the fact that which is very important and we should find out who is particularly responsible for it or who is guilty of it. Our country has been brought into greater disrepute by this sugar scandal than by all other causes put together and the matter cannot be allowed to be dropped without a thorough inquiry into the causes of the present sugar racket. The Government should take the most severe action against those who are found guilty."

This is what the Prime Minister said in his opening address in the Indian Parliament concerning the sugar scandal in 1949. Under such circumstances, there are facts and figures to show that the Indian sugar industrialists had made tons of money. So, is it not a case for nationalisation or re-organisation of this industry on a co-operative basis?

The co-operative sector has been opened by the Government but I am surprised and pained to find that while giving priorities, the present Government is also guilty in not giving first priority to the industries which are growing in the co-operative sector. There are several co-operative industries which have not been given import licences by the present Government, in spite of the fact that they are sanctioned under the Second Five Year Plan, on the pretext that there is shortage of foreign exchange. I know the case of one sugar industry where an amount to the extent of Rs. 15 lakhs had been collected by the people. The Industrial Finance Corporation had sanctioned the amount and the Central Government and the State Government have taken shares.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri D. R. Chavan: The co-operative has purchased pre-fabricated iron to the extent of Rs. 4 lakhs and several other things. They have taken the site and also the contribution from the cane-growers. All the preliminaries have been done. In spite of that, the Government has given import licences to peole in the private sector, but not in the co-operative sector which is a new development in our national economy.

May I request the hon. Minister to look into this matter as early as possible, because there are reports submitted to him, and remedy the state of affairs, which is very scandalous? That is my submission to the hon. Minister. I have no time. Otherwise I would have referred to several other matters.

17 hrs.

Shri Yadav (Barabanki): *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member has been pushed out. The other hon. Member did not react to my bell, though I rung it thrice. I was helpless. Now, if the hon. Minister can wait for five minutes, I will give this hon. Member an opportunity, because he has been rising again and again

Shri A. P. Jain: I have no objection

श्री यादव उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण का और विशेष रूप से चीनी की मिलों के राष्ट्रीयकरण का तीन चीजों से सम्बन्ध है, चीनी, चुनाव और चन्दा और यह समझते हुए भी कि ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं इस लिए मंत्री महोदय या सरकारी पक्ष कहां तक हमारे इस राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, मैं श्री खुशवक्त राय जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत हूं ।

वैसे तो बुनियादी तौर पर मैं चाहूंगा कि देश में जितने भी बड़े उद्योग धंधे मिल मालिकों के हाथ में है उन सबका राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण हो जाये, किन्तु इस समय तो हमारे सामने और इस सदन के सामने सिर्फ चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है और यदि मैं यह राष्ट्रीयकरण चाहता हूं तो उसकी पुष्टि में कुछ बुनियादी चीजों की ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं ।

पहली चीज जिसकी ओर कांग्रेस जोर देती है, सदन के बाहर ज्यादा और सदन के अन्दर कम, वह है सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी । क्यों ? समानता लाने के लिए, समाज से नाबराबरी दूर करने और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए । परन्तु सरकार की प्रवृत्ति विशेषता बनिया प्रवृत्ति है बनिया प्रवृत्ति क्या होती है? वह है व्यक्तिवाद और मंत्री महोदय को तो विशेष रूप से व्यक्तिवादी होना चाहिए और अगर न हों तो अच्छा है । तो मैं चाहता हूं कि जो सरकार और मंत्री महोदय सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कहते हैं और जो वर्ग विहीन समाज की स्थापना का और समानता लाने की बात कहते हैं उसे पूरा करने के लिए कम से कम चीनी मिलों से शुरुआत करें जिसकी तरफ मैं विशेष रूप से उनका ध्यान दिलाना चाहता हू । चीनी के कारखानों का सीधा सम्बन्ध किसानो से है जिनके बैल के कन्धों पर सवार होकर यह सरकार आज सत्तारूढ हुई है । यह ध्यान देने की बात है । इस चीनी से किसान का, मध्यम वर्ग का, और उच्च वर्ग का, सभी का सम्बन्ध है । इस लिए मैं चाहता हूं कि इस चीज के राष्ट्रीयकरण से शुरुआत की जाये ।

दूसरी वजह यह है कि जब तक देश में सरमायेदारी या पूंजीवाद रहेगा और मेरी इस बात से सदन सहमत होगा, तब तक इस देश में भ्रष्टाचार रहेगा और सरमायेदारी के रहते भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता । तो यदि हम चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार चला जाये ।

एक माननीय सदस्य : मार डालिये ।

श्री यादव : मार डालने का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन दूसरों को जिन्दा रखने के लिए कुछ लोगों के हाथ पैरों को रोकना चाहिए ।

तो यदि हमको भ्रष्टाचार को रोकना है तो हमको चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की ओर जाना चाहिए ।

तीसरी बात यह है कि सरमायेदारी में मानापलिस्टिक टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं । उसको भी अगर हम रोकना चाहते हैं और यह चाहते है कि चीनी के दाम ठीक रहें तो हमको यहां से शुरुआत करनी चाहिए ।

एक अन्तिम बात इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्रान्तीय सरकारें हों या प्रान्तीय सरकारें हों चाहे केन्द्रीय सरकार हो, जब भी कोई बात होती है तो पंचवर्षीय योजना की बात बड़े जोरों से कहने लगते है, कहा जाता है कि इसके लिए हमें गरीबों पर भी टैक्स लगाना होगा, एक एक आदमी पर टैक्स लगाना होगा, हमें अपनी बेल्ट कसनी होगी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसके लिए पैसे की जरूरत है । शायद उसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने तीन करोड़ के खर्च से अशोक होटल बनाया है और अब सरकर खाना बेचेगी । उससे मुनाफा होगा या नही यह दूसरी बात है । लेकिन यह काम मुनाफा कमाने के लिए खोला गया है । पर मैं कहता हूं कि यदि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तो सरकार को करोड़ों रुपया मुनाफा हो जायेगा जिससे कि पंचवर्षीय योजना को काफी सफलता मिल सकती है और बल मिल सकता है । लेकिन फिर सरकार को चीनी, चुनाव और चन्दे के चक्कर को छोड़ना होगा ।

श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९४६-४७ में, पेश्तर इसके कि कांग्रेस दल प्रान्तों में या केन्द्र में सत्तारूढ हुआ था, मुझे याद है कि गन्ने का भाव दो रुपये मन था और कंट्रोल रेट से चीनी का दाम ६ आने प्रति सेर था । यह हिसाब रखा गया था । हिसाब

[श्री यादव]

लगाने वालों ने यह हिसाब लगाया था कि अगर गन्ना दो रुपये मन बिके तो चीनी ९ आने सेर बिक सकती है। यहां मैं यह नहीं कहना चाहता कि कितनी बोरी काले बाजार में ८० रुपये बोरी या ११० रुपये बोरी या किस भाव से बिकी और कितनी खुले बाजार में। मगर यह भाव निश्चित किया गया था। पर आज हम देखते हैं कि अब चीनी की लागत २४ रुपये मन है, और २८ और साढ़े २८ रुपये मन बेचने की कीमत है लेकिन बाजार में ३२ और ३३ रुपये मन चीनी बिकती है। तो इस तरह से चार रुपया ज्यादा लिया जा रहा है। यह खुली लूट हो रही है।

मैं निवेदन करूंगा कि आज से तीन वर्ष पहले उत्तर प्रदेश मे किसानों ने आन्दोलन किया था कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाये क्योंकि गन्ने की कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गयी है। यहा पर एक माननीय सदस्य ने काटजू एन्क्वायरी का जिक्र किया। काटजू एन्क्वायरी की यह राय थी कि गन्ने की उपज की लागत के हिसाब से गन्ने का भाव निर्धारित किया जाना चाहिए। जब इर्रीगेशन का रेट बढ गया है तो मानी हुई बात है कि गन्ने का कास्ट आफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। उसी के अनुसार किसान को गन्ने का दाम मिलना चाहिए। लेकिन हुआ यह कि लागत तो बढ़ी लेकिन उसके गन्ने का दाम घटाकर १ रुपया ५ आना और १ रुपया ७ आना मन कर दिया गया। लेकिन चीनी का दाम जो कि ६ आना सेर था वह बढ़ गया। साढे २८ रुपये मन चीनी का भाव एनफोर्स नही किया गया। और जब किसानो ने ज्यादा पैसा मांगा तो उनको जेल में ठूस दिया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी मिल मालिक को जेल में भेजा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने तीन मिनट मांगे थे, मैं ने पांच मिनट दिये। उन्होंने तीन मिनट ले लिये, पांच मिनट भी ले लिये और अभी और बोलना चाहते हैं।

श्री यादव : इसके लिए धन्यवाद। मैं केवल सदन से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए और यह स्पष्ट करने के लिए कि वे सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी में विश्वास करते है, इस प्रस्ताव को मान लें तो बहुत अच्छा होगा।

Shri A. P. Jain: Mr. Deputy Speaker, I do not claim any special virtue for the sugar industry and I do not say that it is the paragon of virtue. But, at the same time, I am not going to accept either that the sugar industry is the devil of the show. The sugar industry is like any other industry in this country. The hon. Member, Shri Shibbanlal Saksena, said that some of the sugar mills are preparing false balance sheets. Is it peculiar to the sugar industry or is it a ground for nationalisation? Another hon. Member said that a certain factory in the Gorakhpur division had not paid any dividend Is the sugar industry the only industry in which a factory has not paid any dividend? Therefore, we have to consider this question in a dispassionate manner. In the light of the national policies, in the light of the special circumstances, if any, that exist in the sugar industry.

In regard to the nationalisation policy, it is a well-known fact to the hon. Members that the nation has decided that we should have a mixed economy in which a part of the industry may be owned in the public sector and another part of the industry may be owned in the private sector.

The Industrial Policy Resolution was accepted by this hon. House. In that Industrial Policy Resolution the industries were divided into three categories:

The first category includes industries, the development of which is the exclusive responsibility of the State; the second category covers industries

which might be progressively State-owned and in which the State might generally take the initiative in establishing new undertakings but in which private enterprise is also expected to supplement the efforts of the State and lastly the third category includes all the remaining industries; their future development should in general be left to the initiative and enterprise of the private sector, though it is up to the State to start any industry even in this category.

Now, the sugar industry falls under the last category. An hon. Member said that the Government have decided to open a hotel, to enter into the catering trade. But Government has not nationalised all the hotels. Therefore that simile does not hold good in deciding the question.

उपाध्यक्ष महोदय : आज अशोका होटल का जिक्र आ जाने से मुझे डर है कि शाम को जो चाय मिलने वाली थी, वह कहीं खत्म न हो जाय।

Shri A. P. Jain: I will not stand in the way of the tea of the hon. Members.

Now, Sir, judged from the accepted policy of the Government, there is no case for the nationalisation of the sugar industry. But I do not take my stand only on that. This is a sovereign body. It has always a right to overrule or to amend the Industrial Policy Resolution. Let us see whether there is a special case made out by any hon. Member for nationalisation of this industry.

I claim, Sir, that of all the industries in this country sugar industry is the most controlled industry, right from the beginning, from the purchase of the sugarcane down to the sale of sugar.

Pandit K. C. Sharma (Hapur): What about weighment?

Shri A. P. Jain: Weighment is not nationalisation.

Firstly, Government announces the price of sugarcane and at present we have announced the price of sugarcane as Rs. 1-7 per maund for the gate delivery and Rs. 1-5 per maund for delivery at the outsation centres. An hon. Member has said that the price of the sugarcane is not paid in time. There have been defaults, but comparatively little. At present 3 per cent of the purchase price has not been paid. For that also there are rules. The sugar produced by the factories has in a number of cases been attached and the factories have been asked to make the payment. Even supposing they default in the payment in proper time, there is a law for that, but it hardly makes out a case for nationalisation.

In order to safeguard the interest of the consumers, the sugar produced by the factories is released for sale under Government orders. Government have also the power to requisition 25 per cent of the sugar for distribution at controlled prices. This movement is also regulated in order to maintain more or less even prices all over the country. A scheme of bonus payment has been evolved under which if the mill-owners make extra profit, that extra profit is distributed in a certain proportion between the cane-grower and the mills. Under that scheme a sum of Rs. 84 lakhs was distributed in one year. In the next year a certain amount has been distributed and payments for the other years are being worked out.

An Hon. Member: In which year?

Shri A. P. Jain: In 1953-54, 87 lakhs were paid.

श्री यादव : किन राज्यों में ?

Shri A. P. Jain: In all the States, wherever it was due and payable.

The wages of the workers are controlled under the Minimum Wages Act; the expansion of industry is regulated under the Industrial Development and Regulation Act. If there is mismanagement in any factory, Government has the power to take over that factory under the Industries Development and Regulation Act. It

[Shri A. P. Jain]

can also control the factory under the Essential Commodities Act. (*Interruptions*) I do not want interruption from hon. Member; I did not interrupt him when he was speaking and making all kinds of allegations. A number of factories have been taken. This year five factories were taken under the control of Government under the Industries Development and Regulation Act.

Shri V. P. Nayar (Quilon): For what type of mismanagement.

Shri A. P. Jain: Mismanagement is of two kinds. There may be a quarrel between the partners on account of which production may suffer. Or there may be quarrels between the labour and management, or between the cane-growers and the management on account of which production may suffer. For these and several other reasons prescribed under the law factories have been taken under Government control.

I maintain the sugar industry is one of those industries which is highly regulated and in which the prices have not risen. There may have been temporary rise now and then, but on the whole prices have been maintained at a fair level. How has the sugar industry behaved? In 1953-54 the production of the factories was 10 lakhs tons. Today it is more than 20 lakhs tons, that is, production has been doubled.

The hon. Member, Shri Shibbanlal Saksena said that recovery has been going down. That again is not a fact. I have got the chart with me and I find that recovery has varied from year to year. Sometimes it is more; sometimes it is less on account of whether conditions, but by and large the recovery has gone up.

Shri S. L. Saksena: I challenge it has gone down steadily.

Shri A. P. Jain: It may have gone down in his place and perhaps on account of his activities.

Mr. Deputy-Speaker: Should I allow this challenge to be decided here and now?

Shri A. P. Jain: But by and large the recovery of sugar taken in the industry as a whole has gone up. Now it is 9.84 per cent as against 9.1 in 1930-31 and 8.9 in 1931-32, and so on and so forth.

Another question has been raised and it is this. We can finance the Plan by nationalising this industry. Let us analyse that contention. The total investment in the sugar industry at present is Rs. 95 crores. This includes Rs. 35 crores spent in establishing 23 new factories and expansion of 30 existing factories. Further licences have been issued for establishing 32 more new factories and expansion of 38 existing factories which will cost another Rs. 55 crores. So, if we have to nationalise this industry we have to immediately pay Rs. 150 crores. If we have to spend Rs. 150 crores I say we should spend it in establishing new industries and not acquiring existing industry which does not help this man or that man.

Instead of helping the Plan it will retard the Plan because our resources of the Plan have been stretched to the utmost limit and if we divert any further resources provided in the Plan for the nationalisation of the sugar industry it means that to that extent the establishment of other industries or the development in other sectors will be retarded.

So any argument that the nationalisation of the sugar industry can contribute towards the implementation of the Plan is a totally misconceived thing.

Much has been said about the socialistic pattern. Hon. Members who have talked about socialist pattern seem to think as if nationalisation of the sugar industry alone is socialist pattern. I submit to them in all humility that this is a very misconceived idea. Socialisation means increased production, higher technology. How can we.. (*Interruption*).

Mr. Deputy-Speaker: Shall I be a helpless spectator only and allow all the chorus of voices to go on simultaneously?

Shri A. P. Jain: How can we have increased production and equitable distribution? So far as that is concerned, nationalisation of the sugar industry, which, I submit, in the private sector has done fairly well, is not going to add to increased production. On the other hand it may retard production by diverting the Plan resources from new enterprises to an existing enterprise. Looked at from any point of view, I think the resolution which has been moved by my hon. friend Shri Khushwaqt Rai is a misconceived one

Now, some amendments have been moved to the effect that we must organise the sugar industry on the co-operative basis I have all my sympathies with that point of view. Of the 55 factories which we have licensed, about 38 or 39 have been given to the co-operative sector, and a large amount of help is being given in establishing co-operative societies. The question is, should we convert the existing factories into co-operative societies? We have just started an experiment in establishing co-operative organisations in bigger industries We have yet to gain experience. I do not know what is going to be the future shape of things. I am firmly of the opinion that any further expansion of the industry must primarily go to the co-operative sector. But I do not think we have either the experience or the nation is going to benefit or we are going to have higher production by diverting existing units to the co-operative sector.

Sir, I have nothing more to add, and I oppose the main resolution as also all the amendments.

Mr. Deputy-Speaker: Does the hon. Mover want to reply? He can have five minutes.

श्री खुशवक्त राय : श्रीमन्, मै ने मंत्री महोदय की स्पीच को बड़े गौर से सुना है और जितनी देर भी मैं उनको सुनता रहा यही विचार करता रहा कि कभी कभी एक आदमी के इधर से उधर चले जाने के बाद विचारों में कितना परिवर्तन आ जाता है । मेरे एक साथी ने सन् १९४९ का जिक्र किया है । मुझे यह अच्छी तरह याद है कि मंत्री महोदय की उस वक्त राय यह थी कि इस इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

An Hon. Member: Now they have gained experience.

श्री खुशवक्त राय : अगर उन बेंचिस पर बैठ जाने से इस तरह से सम्मतियां बदली जा सकती हैं या बदल जाती हैं तो इस पर मुझे आश्चर्य ही होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो तजुर्बे से ही पता चल सकता है ।

श्री खुशवक्त राय : मुझे इस तरह का तजुर्बा नही करना है कि जिस मे आदमी ही बदल जाए ।

यहा पर इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन का जिक्र किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९४८ में जब यह रेजोल्यूशन पास हुआ था उस समय यह इंडस्ट्री किस श्रेणी में थी तथा आज किस श्रेणी में है ? उस वक्त यह इंडस्ट्री दूसरी श्रेणी मे रखी गई थी, क्या माननीय मंत्री इस बात को भूल गए हैं तथा आज इसको तीसरी श्रेणी मे रखा गया है ।

मै कहना चाहता हूं कि मेरा यह जो प्रस्ताव है, इसको सब से बड़ा समर्थन इस सदन के सदस्यों से प्राप्त हुआ है । आपने देखा है कि माननीय मंत्री को छोड़ कर इस प्रस्ताव का किसी ने भी विरोध नही किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का तो राय लेने पर ही पता चलेगा ।

श्री खुशवक्त राय . यह उनकी स्वतंत्र राय नहीं है । चीफ व्हिप महोदय यहां पर

[श्री खुशवक्त राय]

रहते है और उनका कहा सब को मानना पड़ता है। श्रीमन्, यह राय सदस्यों की अपनी राय नही है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नही कहना चाहिए।

श्री खुशवक्त राय : आई एम सौरी।

श्रीमन्, मै यह कहना चाहता हू कि यह जो मै ने प्रस्ताव उपस्थित किया है वह किसी मिसकंसैपशन की वजह से पेश नही किया है। मैं समझता हू और अच्छी तरह से समझता हूं कि समय आ गया है जब कि शुगर के कारखानो का तथा शुगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। आप उन चीजो का राष्ट्रीयकरण कर रहे है जिनका राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नही है। रेलों की ही बात ले लीजिये। रेलो पर भोजन इत्यादि का आप विभागीय प्रबन्ध कर रहे है जिस के परिणामस्वरूप कही भी आपको फायदा नही हो रहा है, सब जगह घाटा ही घाटा हो रहा है। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि जो छोटे छोटे आदमी है उनकी रोजी चली गई है।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय सदस्य से पूछना चाहता हू। क्या माननीय सदस्य के जो नेता है, श्री जय प्रकाश नारायण जी, उन्होने यह मत व्यक्त नही किया है कि राष्ट्रीयकरण नही होना चाहिए।

श्री खुशवक्त राय हम चाहिए कि जिसमे जनता का हित हो वह चीज हम करे। इसमें किसानो का हित है, मजदूरो का हित है तथा आम जनता का हित निहित है। मेरी समझ मे नही आता है कि सरकार क्यो इस इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण नही करती है। मै नम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हू—

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्त आप और कुछ न पूछिये, अपनी ही बात कहिये।

श्री खुशवक्त राय : मै निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों की मुसीबत को दूर करने के लिए, मजदूरो की मुसीबत को दूर करने के लिए इस इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया जाना बहुत जरूरी है। मै कहना चाहता हूं कि जिन किसानो का आज कांग्रेस दम भरती है, जिन बैलो का आज यह दम भरती है, उनका इंटिरेस्ट इसी मे है कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाए और इसके मुताबिक अमल किया जाए और म आशा करता हू कि कांग्रेस की सरकार मेरी इस बात को मान लेगी।

यादव साहब ने जो एक एमेंडमेंट पेश किया है तथा जिसमे कोआपरेटिव सैक्टर को छूट देने की बात कही गई है, उसको मै स्वीकार करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: I shall now put all the amendments that have been moved to the resolution.

Shri Shree Narayan Das: I would like to withdraw my amendment (No 3).

Mr. Deputy-Speaker: Does the hon. Member have leave of the House to withdraw his amendment? I think the House is agreeable

So the leave is given

Shri V. P. Nayar: Sir, there was not even one voice 'yes'.

Mr. Deputy-Speaker: In that case I shall put amendment No. 3 to the vote of the House The question is:

'That for the original Resolution, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that a Committee be appointed to examine the existing working of sugar industry with a view to suggesting whether it is necessary and desirable to nationalise this industry in the national interest."

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: I shall put the other amendments.

Shri Jadhav: My amendment No. 1 has been accepted by the Mover.

Shri Khushwaqt Rai: I have accepted his amendment No. 1.

Mr. Deputy-Speaker: I shall put amendment No. 4 moved by Shri D. R. Chavan.

'That in the Resolution,—

for the word "nationalised" the following be substituted, namely:—

"organised on the co-operative basis." '

The motion was negatived.

Shri Jadhav:.. I withdraw my other amendment (No. 2).

The amendment was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: I will put first amendment No. 1 because it has also to be put to the vote of the House. It is not enough that the Mover accepts it. The question is:

'That in the resolution,—

after "sugar industry" **insert**

"excepting the industry run by co-operative sector." '

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That House recommends to the Government that the sugar industry be nationalised."

The Lok Sabha divided: Ayes 40; Noes 102.

AYES

Awasthi, Shri
Banerjee, Shri Pramathanath
Banerjee, Shri S.M.
Bhadauria, Shri
Bharucha, Shri Naushir
Braj Raj Singh, Shri
Chakravartty, Shrimati Renu
Chavan, Shri D R.
Dan e, Shr A.
Dasaratha Deb, Shri
Dwivedy, Shri Surendranath
Elias, Shri M.
hosal, Shri
Goundar, Shri Shanmuga
Gupta, Shri Sadhan
Iyer, Shri Easwara
Jadhav, Shri
Kodiyan, Shri
Mahagaonkar, Shri
Manav, Shri
Mohan Swarup, Shri
More, Shri
Mukerjee, Shri H.N.
Nayar, Shri V.P.
Panigrahi, Shri
Parulekar, Shri
Parvathi Krishnan, Shrimati
Prodhan, Shri B C.
Rai, Shri Khushwaqt
Ramam, Shri
Ram Garib, Shri
Rao, Shri D V.
Saksena, Shri S L.
Sharma, Shri H.C.
Siva Raj, Shri
Sonule, Shri H.N.
Sugandhi, Shri
Tangamani, Shri
Warior, Shri
Yadav, Shri

NOES

Achar, Shri
Ajit Singh, Shri
Anjanappa, Shri
Arumugham, Shri R.S.
Arumugham, Shri S.R.
Ayyakannu, Shri
Bajaj, Shri Kamalnayan
Banerji, Dr. R.
Bangshi Thakur, Shri
Barman, Shri
Basappa, Shri
Basumatari, Shri
Bhatkar, Shri
Bhogji Bhai, Shri
Birbal Singh, Shri
Bose, Shri P.C.
Brajeshwar Prasad, Shri
Chaturvedi, Shri
Choudhry, Shri C. L.
Dasappa, Shri
Das, Shri K.K
Das, Shri Shree Narayan
Dasgupta, Shri B.
Datar, Shri
Deb, Shri N M.
Deo, Shri Shanker
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri K.G.
Deshmukh, Dr P.S.
Dube, Shri Mulchand
Dublish, Shri
Elayaperumal, Shri
Ganapathy, Shri
Gandhi, Shri Feroze
Ganpati Ram, Shri
Ghosh, Shri M.K.
Hasda, Shri Subodh
Jagjivan Ram, Shri
Jain, Shri A P.
Jain, Shri M C.
Jena, Shri K C.
Jhunjhunwala, Sh.
Jinachandran, Shri
Jyotishi, Pandit J.P.
Kayal, Shri P N.
Khan, Shri Osman Ali
Khuda Bukhsh, Shri M.
Krishnappa, Shri M V.
Krishna Rao, Shri M.V.
Kureel, ri B.N.
Lahiri, Shri
Lal, Shri R S
Laskar, Shri N.G.
Lakshmi Bai, Shrimati
Malliah, Shri U.S.
Mandal, Shri J.
Mandal, Dr. Pashupati

Melkote, Dr.
Mishra, Shri Bibhuti
Morarka, Shri
Nallakoya, Shri
Narasimhan, Shri
Nayar, Dr. Sushila
Nehru, Shrimati Uma
Onkar Lal, Shri
Oza, Shri
Pandey, Shri K.N.
Panna Lal, Shri
Patel, Shrimati Maniben
Pillai, Shri Thanu
Prabhakar, Shri Naval
Rakhmaji, Shri
Ramaswami, Shri S.V.
Ramaswamy, Shri K.S.
Rane, Shri
Ranga, Shri
Rao, Shri B.M.
Rao, Shri Hanmanth
Roy, Shri Bishwanath
Rungsung Suisa, Shri
Sahodrabai, Shrimati
Sahu, Shri Rameshwar
Samanta, Shri S.C.
Samant Sinhar, Dr.
Satyabhama Devi, Shrimati
Selku, Shri
Sen, Shri P.G.
Shah, Shrimati Jayaben
Sharma, Shri D.C.
Sharma, Shri R.C.
Shukla, Shri V.C.
Siddiah, Shri
Singh, Shri D.N.
Singh, Shri H.P.
Sinha, Shri Satya Narayan
Sonawane, Shri
Subbarayan, Dr. P.
Sultan, Shrimati Maimoona
Thirumala Rao, Shri
Tiwari, Shri Babu Lal
Upadhyay, Pandit Munishwar Dut
Varma, Shri B.B.

The Resolution was negatived.

RESOLUTION *RE* APPOINTMENT OF A TRIBUNAL TO REVIEW THE CASE OF DISMISSED GOVERNMENT EMPLOYEES

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Parvathi Krishnan to move the Resolution.

Shri Tangamani (Madurai): There are certain amendments to the Resolution.

Mr. Deputy-Speaker: Should they be taken before the Resolution is moved?

Shri Tangamani: I want to know whether these amendments will be taken as moved.

Mr. Deputy-Speaker: Unless the Resolution is moved, they cannot be considered now.

Shrimati Parvathi Krishnan (Coimbatore): I beg to move:

> "This House is of opinion that a special Tribunal consisting of a High Court Judge as Chairman and two members representing the Government and the workers should be appointed to review the cases of employees whose services were terminated or who were dismissed or who are under indefinite suspension under the Central Civil Services (Safe guarding of National Security) Rules, 1953, Government Servants Conduct Rules and Rule 1708 of Indian Railways Establishment Code."

The rules that are referred to in this Resolution were promulgated as far back as 1949 by the then Governor General Shri C. Rajagopalachari under the Government of India Act, 1935. Since then, our Constitution has come into force and yet those rules continue as they stood with a few amendments which, according to the hon. Minister Shri Datar, when he spoke on an earlier occasion, were intended to bring them up-to-date. A very strange phrase he used because, in these amendments that have been brought about, the procedure of bringing up-to-date by the ruling party, with its announced goal of a socialist system of society, seems to have been one of decreasing one by one whatever few rights there were with the workers in Government service.

This question of the rules and the necessity and the need to amend the rules and change them so that they are in keeping with the Constitution and with the avowed ambition of our people, has been debated more than once on the floor of this House. Therefore, there will be many who will be asking, particularly Members from the Treasury Benches, what is it that is new that you are asking for today and why is it that this Resolution is being brought forward.

The difference is this. The earlier resolutions referred to the amending